

तारीख हुक्म

11-6-24

पत्रावली आज पेश हुई।

वादीनी/प्रार्थीनी वकील उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय में राजस्व वाद/राजस्व आवेदन दिनांक 30.09.2016 को दर्ज करने के बाद वादीनी/प्रार्थीनी वकील को प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिस डाक रजिस्टर्ड भेजने के आदेश दिये गये थे। परन्तु वादीनी/प्रार्थीनी वकील द्वारा आज तक प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिस पेश नहीं किये। वादीनी/प्रार्थीनी वकील को सम्मन/नोटिस तामिली कई अवसर दिये जाने बावजूद भी वादीनी/प्रार्थीनी वकील ने प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिस पेश नहीं किये। लगभग सात वर्ष आठ माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई, तलबी के अभाव उक्त प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत वादीनी/प्रार्थीनी का राजस्व वाद/राजस्व आवेदन अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

